

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक- प.3(1201) नविवि/3/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक

आदेश

11 MAY

11 MAY

विभागीय आदेश क्रमांक- प.3(1201) नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 09.03.2017, 20.05.2017 के बिन्दु 1 व 18.07.2019 से दिनांक 01.01.2001 एवं इससे पूर्व प्राधिकरणों व न्यासों द्वारा EWS/LIG के आवंटित आवासों की बकाया राशि दिनांक 31.12.2019 तक जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी।

कोविड-19 के मददेनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार आदेश दिनांक 09.03.2017, 20.05.2017 व 18.07.2019 की निरन्तरता में प्राधिकरण/न्यास द्वारा दिनांक 01.01.2001 एवं इससे पूर्व के आवंटित आवासों की बकाया राशि एवं किरत एक मुश्त दिनांक 31.12.2020 तक जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 के अन्तर्गत शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष मोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास संस्थान, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली / 2020-21 / 71 / 329

दिनांक : 08-05-2020

--: कार्यालय आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.3(1201)नविदि/3/2012 पार्ट जयपुर दिनांक 01.05.2020 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक : वसूली/2020-21/71/331

दिनांक : 13/5/2020

कार्यालय-आदेश

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट जयपुर दिनांक 01.05.2020 के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या वसूली/2020-21/71/329 दिनांक 08.05.2020 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त (Withdraw) किया जाता है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सहायक-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
7. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निजी सहायक-वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी-I/II/III/IV & V, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
11. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
12. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार